(108)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर भोपाल

निगरानी– 4461/2018/भोपाल/भू.रा. पुनरीक्षण क्रमांक /18

श्रीमति शीला यादव पत्नी श्री यतीन्द्र नाथ

ए–54 रजत विहार कालोनी भोपाल

........आवेदिका

आवेदक अभिभाषक श्री रमेश सक्सेना द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत।

विरूद्ध

2-6-18

1. केशर सिंह
2. रामदयाल
3. जीतमल
4. राजाराम पुत्रगण रामदयाल
5. द्रोपति पुत्री रामदयाल
6. तुलसा बाई पत्नी रामदयाल

समस्त निवासी ग्राम मुबारकपुर तहसील हुजूर भोपाल

........अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व सहिंता

महोदय,

आवेदिका प्रक्ररण क्रमांक 81/अ–12/17–18 में पारित आदेश एवं प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2018 राजस्व निरीक्षण मण्डल 1 ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल से प्रतिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रही है।

तथ्य

प्रक्ररण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम मुबारपुर स्थित स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 155/2/1/2/क–160/2/1, 155/2/1/2/ख–160/2/1,155/2/1/ग–160/2/1,155/2/1/2/घ–160/2/1 रकवा 0.060, 0.261, 0.262, 0.262 कुल रकवा 0.845 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है आवेदिका उक्त भूमि से लगी भूमि खसरा क्र. 155,160/2/1 रकबा 05.59 एकड अर्थात 2.262 हेक्टेयर मे से रकबा 3.50 एकड़ सम्पुर्ण भूमि इस प्रकार कुल विक्रय भूमि रकबा 03.83 एकड अर्थात 1.550 हेक्टेयर भूमि के भूमि स्वामी है उक्त भूमि आवेदिका द्वारा [illegible] विक्रय पत्र 04/08/2005 द्वारा क्रय की तब से उसका कब्जा चला आ रहा है [illegible] कोई सुनवाई दिए भूमि खसरा क्र. 155/2/1/2/ख–160/2/1 [illegible]
[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4461/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-04-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	